

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़वण्डर सीमेंट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी बनाम लेहरू वगैराहकार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 89 (2) एवं (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र (रे.वि.) नं० 175 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया की अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात प्रार्थी कंपनी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के क्रय की जा चुकी है जिससे प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना-पत्र निष्प्रभावी हो चुका है, अतः प्रार्थना-पत्र में कार्यवाही इसी स्तर समाप्त किये जाने का आदेश दिलवाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्दो को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्दो का चिंतन-मनन किया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहती है, ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्दो को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, फलत् अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्दो को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को विद्दोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



-S/d-
(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
23.08.2023